संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 22 अक्टूबर, 1981

जी. एस. आर. 68 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (7) तथा (8) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु एराज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम:-** इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1981 है।

2. लागू होना :-ये नियम राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप-मुख्य सचेतक और विरोधी दल के नेता पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होंगे।

3. चिकित्सीय सुविधाएं :-उक्त अधिकारी वैसी ही चिकित्सीय सुविधाओं तथा परिचर्या के हकदार होंगे जैसी कि तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1961 के अधीन किसी मंत्री को अनुज्ञेय है और उक्त नियमों के उपबन्ध उक्त अधिकारियों पर उन्हें अनुज्ञेय चिकित्सीय सुविधाओं तथा परिचर्या के सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

[संख्या एफ. 7(5) संसद/81]
राज्यपाल के आदेश से,
गोपाल कृष्ण शर्मा
शासन सचिव।